

• हमें पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया। प्रार्थीगण ने प्रा० पत्र के साथ राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर में प्रस्तुत अपील की आदेशिका व अपील की प्रमाणीत प्रति पेश की हैं जिसमें भागनीय न्यायालय द्वारा ग्राम बस्सी के ख. नं. 177 इम्बा 38-19 बीघा भूमि बाबत इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनेक 6.4.05 की पाबना व क्रियान्विति आगामी पैंशी तक स्थगित कर राजस्व रिमांड व मौके की गृहास्थिति व भूमि रखन, बय व मुक्त किल न किये जाय हेतु स्थगन आदेश जारी किया हुआ है तथा अपील विचाराधीन है। जिसमें प्रार्थीगण अपीलान्त व इस वाद के वादी व प्रतिवादीगण रेस्पॉन्डेंट हैं। उक्त अपील व इस वाद में विवादित आराजीयत एक ही है तथा पक्षकार भी एक ही हैं। जिसेसे प्रतीत होता है कि इस वाद में प्रार्थीगण का हित निहित है तथा प्रार्थीगण इस वाद में आवश्यक पक्षकार हैं तथा प्रार्थीगण को अनुवाद अवसर दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 01R10CPC खीकाट किया जाकर प्रार्थीगण को इस वाद में प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार बनाया जाता है। तथा जवाब दावा पेश करने हेतु अवसर दिया जाता है। वकील वादी अशौचित शीर्षक व प्रतिवादी 2 से 6 व 8 से 28 के सम्मन पेश करे मि० दि० 10/2/20 को पेश हो।

10/2/20 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी स्वयं को बार-बार अवाज लगायी गई। जिसके बावजूद अनुपस्थित रहे हैं।

अतः वाद वादी अदम हाजरी व अदम पैंशी में खालिज किया जाता है पत्रावली फिलहाल सुमार होकर दाखिल दफ्तार हो।